रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-212/2026/1916/22-2-2023-17(769)/2023

लखनऊ: दिनांक: 18 मार्च, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार सिद्धार्थनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी पोरे (बन्दी संख्या-967/2011) श्री रहमतुल्लाह, ग्राम-खलीलपुर टोला पुरैना, थाना-मोहाना, जनपद-सिद्धार्थनगर का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-150/2004, में भा०द०वि० की धारा-302/149, 307/149, 323, 147, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी० सी० प्रथम्, सिद्धार्थनगर के दण्डादेश दिनांक 24.01.2011 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है, बन्दी की 85 वर्ष की आयु, संतोषजनक जेल आचरण, बन्दी की वृद्धावस्था तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर द्वारा सगयपूर्व रिहाई का विरोध किए जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-212/2026/1916(1)/22-2-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।

3- पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, सिद्धार्थनगर।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in